RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 201
दि. 25.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

चुनाव आयोग पर सियासी संग्राम: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस से उठा संवैधानिक तूफान

नई दिल्ली। देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। विपक्ष के 73 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक नोटिस सौंप दिया है। इस कदम ने न केवल संसद की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर भी व्यापक बहस छेड़ दी है।

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक विस्तृत पत्र सौंपते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की है। यह कदम साधारण राजनीतिक विरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने वाला एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर 'सिद्ध कदाचार' के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कदाचार विशेष रूप से 15 मार्च 2026 के बाद किए गए कुछ निर्णयों और कथित चूकों से संबंधित है। इन आरोपों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत परिभाषित प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

जयराम रमेश के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुल नौ विशिष्ट आरोप

हैं, जिन्हें दस्तावेजों के साथ विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही छिपाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पद पर बने रहना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है और निर्णयों में पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में भारतीय चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की मांग को केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा मामला माना जा रहा है।

महाभियोग की प्रक्रिया अपने आप में जटिल और सख्त होती है। संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षम्यता' के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। यह प्रस्ताव न केवल कुल सदस्यों के बहुमत से, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन से पारित होना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को राजनीतिक कारणों से आसानी से हटाया न जा सके। इसके अलावा, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत एक जांच प्रक्रिया भी निर्धारित है, जिसमें आरोपों की सत्यता की जांच की जाती है। इस दौरान संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। गवाहों के बयान लिए जाते हैं और सभी तथ्यों का गहन परीक्षण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना होता है।

विपक्षी दलों की चिंता नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आयोग कई महत्वपूर्ण मामलों में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकाव दिखा रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और अपनी निष्पक्षता पर जोर दिया है। लेकिन अब महाभियोग नोटिस के रूप में यह असंतोष एक औपचारिक और गंभीर रूप ले चुका है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में संसद के भीतर तीखी बहस और टकराव का कारण बन सकता है। एक ओर जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का कदम बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे राजनीतिक रणनीति और दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख सकता है। ऐसे में यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बन गया है।

अब इस पूरे मामले में अगला कदम राष्ट्रपति के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि राष्ट्रपति इस नोटिस को स्वीकार करते हैं, तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकती है। इसके बाद एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया चलेगी, जिसमें जांच, बहस और मतदान शामिल होंगे। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होगी, बल्कि इसमें हर कदम पर कानूनी और राजनीतिक पेचीदगियां भी सामने आ सकती हैं।

देशभर की नजरें अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक पद से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता और संस्थागत संतुलन की परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और इसका देश की राजनीति तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि इस महाभियोग नोटिस ने देश की सियासत में एक नया अध्याय खोल दिया है, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।

नाबालिग की इच्छा सर्वोपरि: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जबरन गर्भावस्था पर सख्त रुख

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने न केवल कानूनी दृष्टिकोण से एक मजबूत मिसाल कायम की है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्वायत्तता और अधिकारों को लेकर भी एक स्पष्ट संदेश दिया है।

यह मामला एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़ा था, जो सात महीने से अधिक समय से गर्भवती थी और मानसिक रूप से गंभीर दबाव में थी। अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि उसने पहले दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर गर्भपात की अनुमति दे दी और कहा कि इस तरह की स्थिति में गर्भावस्था जारी रखना उसके हित में नहीं है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने की। अपने फैसले में पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गर्भवती महिला की इच्छा और निर्णय सर्वोपरि हैं, न कि अजन्मे बच्चे के अधिकार। अदालत ने कहा कि यदि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

पीठ ने इस फैसले में महिला की 'प्रजनन संबंधी स्वायत्तता' (reproductive autonomy) को विशेष महत्व दिया। अदालत ने कहा कि अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है। इस अधिकार को किसी भी प्रकार के अनुचित या कठोर प्रतिबंधों के माध्यम से सीमित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब मामला नाबालिगों और अनचाहे गर्भ से जुड़ा हो।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जबरन गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, उसकी शिक्षा, सामाजिक स्थिति और समग्र विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी प्रावधानों को ही नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में महिलाओं के अधिकारों, खासकर प्रजनन अधिकारों को लेकर लगातार बहस चल रही है। कई मामलों में यह देखा गया है कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक परिस्थितियां और कानूनी जटिलताएं महिलाओं के निर्णय को प्रभावित करती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट रुख महिलाओं को अपने शरीर और जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार मजबूत करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा, जहां नाबालिग या अन्य महिलाएं अनचाहे गर्भ से जूझ रही हों। यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि अदालतें केवल कानून के अक्षर का पालन नहीं करतीं, बल्कि न्याय के व्यापक सिद्धांतों और मानवाधिकारों को भी प्राथमिकता देती हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया है कि न्यायपालिका किस प्रकार संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है। यह फैसला न केवल एक नाबालिग लड़की के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह देशभर की महिलाओं के लिए एक सशक्त संदेश भी है कि उनके शरीर और जीवन पर अंतिम अधिकार उनका ही है।

आने वाले समय में इस फैसले का प्रभाव समाज और कानून दोनों पर देखने को मिलेगा। यह महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिस्थिति में उनकी इच्छा और गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

बंगाल में बदलाव का बिगुल: दमदम रैली से पीएम मोदी का तृणमूल पर तीखा प्रहार

कोलकाता की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच दमदम की धरती पर उस समय माहौल और गरम हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सीधा और तीखा हमला बोला। चुनावी माहौल में दिए गए इस भाषण ने न केवल समर्थकों में उत्साह भरा, बल्कि विरोधियों पर भी स्पष्ट संदेश छोड़ा कि आगामी परिणामों को लेकर भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई है।

अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की जो लहर पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही थी, उसे पहले चरण के मतदान ने मजबूत मुहर दे दी है। उन्होंने दावा किया कि जनता का रुझान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यह समर्थन आने वाली जीत का संकेत दे रहा है। उन्होंने इसे "विजय का शंखनाद" बताते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दूसरे चरण में और अधिक जोश के साथ जुटने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तृणमूल कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने और उसे अवसरों की भूमि में बदलने के लिए राज्य को तृणमूल के शासन से मुक्त

करना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भय, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, पलायन, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं राज्य के लिए गंभीर मुद्दा बन चुकी हैं।

नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लोकतंत्र के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने "लोकतंत्र के मंदिर" को कुचलने का काम किया, लेकिन पहले चरण के मतदान में जनता ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे चरण में जनता इस लोकतंत्र के मंदिर पर "विजय ध्वज" फहराएगी, जो राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक होगा। अपने आक्रामक तेवर को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति अब कमजोर हो चुकी है और यह उस "दीये" की तरह है, जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे, तब तृणमूल के "गुंडों" को राज्य में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस बयान ने सभा में मौजूद समर्थकों के बीच जोरदार प्रतिक्रिया उत्पन्न की और माहौल और अधिक राजनीतिक हो गया।

भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने इतिहास का संदर्भ देते हुए सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों से "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का आह्वान किया था, उसी प्रकार आज बंगाल में एक नई क्रांति की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क्रांति हिंसा की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से होगी।

प्रधानमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा को "वोट रूपी आशीर्वाद" दें, ताकि राज्य को विभिन्न समस्याओं से मुक्त कराया जा सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस एक "नारी विरोधी" पार्टी है और महिलाओं के हितों की अनदेखी करती रही है। यह बयान खास तौर पर महिला मतदाताओं को संबोधित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

इस जनसभा ने यह साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला बेहद तीखा और निर्णायक होने जा रहा है। जहां एक ओर भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनने का दावा कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आक्रामक भाषण चुनावी ध्रुवीकरण को और तेज कर सकते हैं।

दमदम की इस रैली के जरिए नरेंद्र मोदी ने न केवल अपने समर्थकों को उत्साहित किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि भाजपा इस चुनाव को पूरी गंभीरता और आक्रामक रणनीति के साथ लड़ रही है। अब सभी की नजरें आगामी चरणों के मतदान और अंततः 4 मई को आने वाले परिणामों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दी चौंकाने वाली जानकारी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, जहां केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस गए 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस जानकारी ने न केवल अदालत को चिंतित किया है, बल्कि देशभर में उन परिवारों के बीच भी बेचैनी बढ़ा दी है, जिनके अपने इस संघर्ष में फंसे हुए हैं।

यह मामला उन 26 भारतीय नागरिकों से जुड़ा है, जिनके परिजनों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके परिजनों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर रूस भेजा गया और बाद में उन्हें जबरन युद्ध में शामिल कर लिया गया। इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ कर रही है, जिसने इस पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को जानकारी दी कि जिन 26 लोगों का याचिका में उल्लेख किया गया है, उनमें से 10 की मौत हो चुकी है। यह संख्या अपने आप में इस बात की गंभीरता को दर्शाती है कि विदेश में रोजगार के नाम पर जाने वाले भारतीय किस तरह के जोखिमों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक व्यक्ति इस समय

आपराधिक मामले में जेल में बंद है, जबकि एक अन्य व्यक्ति अब भी स्वेच्छा से रूस में रह रहा है।

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मृतकों में से अधिकांश ने रूसी संस्थाओं के साथ स्वेच्छा से अनुबंध किया था, जिसके तहत वे वहां गए थे। हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ मामलों में एजेंटों द्वारा गुमराह किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि विदेश में रोजगार के नाम पर चलने वाले नेटवर्क और एजेंटों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है। ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि विदेश मंत्रालय लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और इस समस्या के समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसमें राजनयिक स्तर पर बातचीत, कानूनी सहायता और प्रभावित नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं।

अदालत ने इस मामले को केवल कानूनी विवाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानवीय संकट के रूप में भी गंभीरता से लिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार को इस मुद्दे पर पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले की नियमित निगरानी कर सकती है, ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि उनके परिजनों को बेहतर रोजगार और उच्च वेतन का लालच देकर रूस भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। यह आरोप यदि सही साबित होते हैं, तो यह न केवल धोखाधड़ी का मामला होगा, बल्कि मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का भी संकेत दे सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्तर पर कई देशों के नागरिकों को प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय नागरिकों के इस तरह सीधे युद्ध में शामिल होने की खबरें चिंताजनक हैं। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश में जाने वाले लोगों को किस प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटनाक्रम ने सरकार की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया है कि वह ऐसे मामलों में सख्त निगरानी रखे और एजेंटों तथा संदिग्ध नेटवर्क पर कार्रवाई करे। साथ ही, आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि वे किसी भी प्रकार के झूठे वादों या फर्जी प्रस्तावों के जाल में न फंसें।

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार द्वारा पेश की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह मामला न केवल उन 26 परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के लाखों युवाओं के लिए भी एक चेतावनी है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाने का सपना देखते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक संघर्षों का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आम नागरिकों के जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर इस जटिल और संवेदनशील मुद्दे का समाधान किस तरह निकालते हैं।

संपादकीय

आधी आबादी का गिरफ्त में आना चिंताजनक

निस्संदेह, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की वह रिपोर्ट राष्ट्रीय चिंता बढ़ाने वाली है कि देश की पचास फीसदी आबादी जीवनशैली से जुड़े रोगों से ग्रस्त-त्रस्त है। यह भी फिक्र बढ़ाने वाला है कि एक दशक पहले देश में खान-पान, जीवन व्यवहार व तनाव से उपजे रोगों का प्रतिशत जहां 31 था, वो अब पचास फीसदी तक जा पहुंचा है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार व नये शोध अनुसंधान के चलते संक्रामक रोगों का प्रतिशत घटा है। लेकिन हमारे खानपान व जीवन व्यवहार में तेजी से आ रहे बदलावों के चलते लोग मोटापे, मधुमेह, तनाव व उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते जानलेवा संकट भी बढ़ रहा है। हमें स्वीकार करना होगा कि आजादी के बाद देश में आम आदमी के जीवन स्तर में किसी न किसी तरह सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके चलते जीवनशैली भी बदली है। लेकिन पौष्टिक व शरीर की जरूरतों के अनुकूल भोजन न करने, शारीरिक निष्क्रियता, स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की कमी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो इन रोगों के वाहक बनते हैं। इसमें आनुवंशिक रोगों की भी भूमिका है। धीरे-धीरे शरीर को खोखला करने वाले ये रोग कालांतर जानलेवा बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी चिंता जता रहे हैं कि भारत में विभिन्न रोगों से मरने वाले ज्यादातर लोगों की मौत की वजह संक्रामक रोग के बजाय जीवनशैली से जुड़े रोग हैं। जो हमारी गभीर चिंता का विषय होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान की आशातीत प्रगति के चलते आम भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है, लेकिन जीवनशैली से जुड़े रोगों का बढ़ना इस कामयाबी पर पानी फेरने जैसा है। यही वजह है कि देश में स्वास्थ्य बीमा कारोबार में तेजी आई है, यह तेजी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। लेकिन ये बीमा कंपनियां रोग से बचाव में मदद करने के बजाय व्यक्ति के रोगों के इलाज को प्राथमिकता देती हैं।

हालांकि, देश में जीवनशैली से जुड़े रोगों से बचाव के लिये जागरूकता जरूर आई है। जिसके लिये राजग सरकार को श्रेय देना होगा। प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग का दुनिया में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है। यह जागरूकता भारत में भी है। लेकिन बड़ी आबादी अब भी इससे दूर है। प्रधानमंत्री 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम व अन्य मंचों से मोटापे से बचाव और खानपान में मिलेट अपनाने पर अक्सर बल देते नजर आते हैं। लेकिन इस पर सकारात्मक प्रतिसाद अपेक्षित अनुपात में नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि लोगों को महंगा इलाज कराने को बाध्य होना पड़ता है। विडंबना है कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों से राहत के लिये डॉक्टर जीवनभर दवा खाने को कहते हैं। तमाम लोग निजी अस्पतालों में हृदयरोग आदि के महंगे इलाज से गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। कोरोना संकट के सबक हमें याद रखने चाहिए, जब लोगों ने जेवर, जमीन व मकान तक गिरवी रखकर अपना उपचार कराया। लेकिन यदि लोग शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं, योग, ध्यान और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं तो इन रोगों से बच सकते हैं। विडंबना यह है कि हमने परंपरागत भारतीय खाद्य पदार्थों की अनदेखी करके पश्चिमी व चीनी खाद्य विकल्पों को चुनना शुरू कर दिया है। जो हमारी जलवायु व शारीरिक प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं। जंक फूड में रासायनिक पदार्थ नुकसानदायक हैं वहीं तले-भुने खाने ने मोटापे को बढ़ाया है। फिर हम शारीरिक श्रम करने से बचते हैं और आरामतलबी का जीवन जीते हैं। जिसके फलस्वरूप बढ़ा मोटापा कई रोगों का वाहक बन जाता है। देर रात तक मोबाइल व इंटरनेट पर सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से हमारी नींद में खलल पड़ा है। नींद पूरी न होने से तनाव व अवसाद बढ़ा है। हमारा देर से भोजन करना, देर से सोना और सुबह देर से उठना भी रोगों का कारक बना है। हमने जबसे खाने में पारंपरिक पौष्टिकता के बजाय स्वाद को प्राथमिकता देनी शुरू की है, तभी से शरीर में जरूरी विटामिनों की कमी बढ़ी है। प्रदूषित खान-पान की भी इस संकट में भूमिका है। वहीं सहज-सरल व्यवहार हमारे स्वस्थ होने की गारंटी है।

जन भागीदारी से बेहतर जल प्रबंधन की पहल

"जलवायु परिवर्तन व भूजल स्तर में गिरावट आदि के चलते जलापूर्ति की चुनौती बढ़ी है। हरियाणा में ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का संचालन और रखरखाव नीति 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन का नया मॉडल प्रस्तुत किया गया है। जो जल जीवन मिशन के लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में सरकारी तंत्र संग समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है।

भारत में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का आधार है। सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें समुदाय की भागीदारी को खास महत्व दिया गया है।

हरियाणा में इसी दृष्टि से ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का संचालन और रखरखाव नीति 2026 लागू की गयी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करती है। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें केवल सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा गया है। सरकार, ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति तथा जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन जैसे संस्थानों की साझेदारी से व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 1992 तक हरियाणा ने अपने सभी गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की उपलब्धि हासिल कर ली थी। हालांकि, समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर में गिरावट, बढ़ती आबादी और संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण जल प्रबंधन का विषय पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है।

इस व्यवस्था में ग्राम जल एवं सीवरेज समिति गांव स्तर पर जल प्रबंधन की मुख्य इकाई के रूप में कार्य करती है। यह समिति ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य करते हुए जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन, रखरखाव, निगरानी और राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी निभाती है। समिति सुनिश्चित करती है कि गांव के प्रत्येक घर तक सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति हो, और जल आपूर्ति प्रणाली में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान समय पर किया जाए। साथ ही, इससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। जब गांव के लोग स्वयं बिलिंग, निगरानी और रखरखाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो पारदर्शिता व जिम्मेदारी बढ़ती हैं।

ग्रामीण स्तर की इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुदाय को जागरूक करने, प्रशिक्षण देने और संस्थागत क्षमता विकसित करने का कार्य करता है। खास तौर से यह संगठन सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, स्वच्छता और सुरक्षित जल उपयोग के प्रति जागरूक करता है। यह विभाग जलस्रोतों का विकास, पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण, जल शोधन संयंत्रों की स्थापना और भंडारण संरचनाओं का निर्माण जैसे तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी निभाता है।

नई व्यवस्थाओं के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों को तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यदि किसी गांव में जल आपूर्ति प्रणाली में कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो विभाग के अधिकारी और अभियंता उसका समाधान करने में मदद करते हैं।

जल प्रबंधन की सफलता के लिए वित्तीय स्थिरता भी आवश्यक है। जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए निरंतर वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। इसी उद्देश्य से उपयोगकर्ता शुल्क और जल बिलिंग प्रणाली को लागू किया गया है। जब उपभोक्ता अपने उपयोग के अनुसार जल शुल्क का भुगतान करते हैं, तो इससे जल योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं और प्रणाली लंबे समय तक सुचारु रूप से चलती रहती है।

इसके साथ ही जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जल का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाए। वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोकना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। जल जीवन मिशन के जरिये देशभर में जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब गांव में हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचता है, तो महिलाओं और बच्चों का पानी लाने में लगने वाला समय बचता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।

इसमें केंद्र सरकार की पहल जल जीवन मिशन, राज्य सरकार की नीतियां, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तकनीकी क्षमता, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जागरूकता और ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों की स्थानीय भागीदारी—ये सभी मिलकर एक मजबूत तंत्र का निर्माण करते हैं। यदि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए ग्रामीण जल प्रबंधन का एक सफल मॉडल बन सकती है।

प्रेरणा

प्रवाह के संग चलने का रहस्य

प्राचीन चीन की एक शांत सुबह थी, जब प्रकृति अपने सहज रूप में पूरी सृष्टि को एक अदृश्य संतुलन का अनुभव करा रही थी। उसी समय महान दार्शनिक लाओत्से एक साधारण नदी के किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, और उनकी दृष्टि बहते हुए जल पर स्थिर थी, मानो वे उस जल में जीवन का कोई गहरा रहस्य पढ़ रहे हों। वे न तो किसी चिंता में डूबे थे, न ही किसी महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबे हुए, बल्कि वे उस क्षण को पूर्णता से जी रहे थे।

उधर, चीन के राजा ने जब लाओत्से की बुद्धि और उनके अद्भुत ज्ञान के बारे में सुना, तो वह अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति यदि राज्य के प्रशासन का हिस्सा बन जाए, तो न केवल शासन बेहतर होगा, बल्कि जनता का जीवन भी अधिक संतुलित और सुखमय हो जाएगा। इसी विचार के साथ उसने अपने विश्वसनीय दूतों को लाओत्से के पास भेजा, ताकि वे उन्हें राजदरबार में उच्च पद स्वीकार करने का निमंत्रण दे सकें।

दूत कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उस स्थान पर पहुंचे, जहां लाओत्से निवास करते थे। उन्होंने जो दृश्य देखा, वह उनकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। न कोई भव्य भवन, न कोई शिष्यों की भीड़, और न ही किसी प्रकार का वैभव—सिर्फ एक साधारण नदी, शांत वातावरण और उसमें खोए हुए लाओत्से। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश था कि सच्चा ज्ञान बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में छिपा होता है।

दूतों ने विनम्रता से आगे बढ़कर राजा का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि राजा उनकी विद्वता से अत्यंत प्रभावित हैं और उन्हें राज्य में एक उच्च पद देकर सम्मानित करना चाहते हैं। यह सुनकर लाओत्से ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल हल्की मुस्कान के साथ नदी की ओर इशारा किया और पूछा, "क्या तुम इस जल को देख रहे हो?" दूतों ने उत्तर दिया, "हाँ, यह अपनी दिशा में निरंतर बह रहा है।"

लाओत्से ने धीरे-धीरे कहा, "क्या तुमने कभी देखा है कि यह जल किसी से प्रतिस्पर्धा करता है? यह न तो किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है और न ही किसी से आगे निकलने की इच्छा रखता है, फिर भी यह सबसे दूर तक पहुंच जाता है। यह किसी पहचान या पुरस्कार की चाह नहीं रखता, फिर भी यह हर जीवन को पोषित करता है।" उनकी आवाज में एक गहराई थी, जो सीधे मन को स्पर्श कर रही थी।

फिर उन्होंने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे नदी में डाल दिया। पत्ती बिना किसी संघर्ष के जल के साथ बहने लगी। लाओत्से ने उस दृश्य की ओर संकेत करते हुए कहा, "देखो, यह पत्ता कितना हल्का है। यह धारा के साथ चल रहा है, इसलिए यह कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन यदि यह धारा के विरुद्ध जाने का प्रयास करे, तो यह नष्ट हो जाएगा या कहीं अटक जाएगा। यही जीवन का सत्य है।"

उन्होंने आगे समझाया, "मनुष्य भी अक्सर अपने जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि परिस्थितियाँ उसकी इच्छा के अनुसार बदलें, लोग उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, और भविष्य उसकी योजनाओं के अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो वह दुखी हो जाता है, तनाव में आ जाता है और अपने भीतर अशांति पैदा कर लेता है। वास्तव में, यह संघर्ष ही उसे बांध देता है।"

लाओत्से के शब्द केवल एक दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि जीवन का गहन अनुभव थे। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वह बिना संघर्ष के आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है या प्रयास करना छोड़ देता है, बल्कि वह अपने प्रयासों को सहजता के साथ करता है और परिणामों को लेकर अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता।

आज के आधुनिक युग में यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई सफलता पाना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर अपने भीतर की शांति खो देते हैं। हम अपने आप से दूर हो जाते हैं और जीवन को केवल उपलब्धियों के पैमाने पर मापने लगते हैं।

लाओत्से का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीने का नाम है। जब हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद ही बंध जाते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है।

दूत लाओत्से की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में एक नई समझ जन्म ले रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके में प्रकट होता है। लाओत्से ने अंत में शांत स्वर में कहा कि वे किसी पद या सत्ता के बंधन में नहीं बंधना चाहते। उनके लिए सबसे बड़ा मूल्य उनकी स्वतंत्रता और सहजता है।

जब दूत वापस लौटे और उन्होंने राजा को यह सब बताया, तो राजा भी गहराई से प्रभावित हुआ। उसने समझ लिया कि हर महान व्यक्ति को पद और सम्मान के माध्यम से नहीं बांधा जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी महानता उनकी स्वतंत्रता में ही निहित होती है।

यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सहजता को बनाए रखने में है। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हैं, तो हम बिना संघर्ष के भी बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर चीज़ को नियंत्रित करना संभव नहीं है, और हर चीज़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं है।

सच्चा संतुलन तब आता है जब हम प्रयास और स्वीकार्यता के बीच एक मधुर सामंजस्य बना लेते हैं। जब हम अपने भीतर उस शांति को खोज लेते हैं, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, तब हम वास्तव में जीवन को समझने लगते हैं। और यही वह अवस्था है, जहां सहजता की जीत होती है—एक ऐसी जीत, जिसमें कोई हार नहीं होती, केवल अनुभव और विस्तार होता है।

महिला आरक्षण बिल: भावनाओं का जाल- विपक्ष गिरफ्तार

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को संसद व राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ वर्ष 2034 की बजाए 2029 से देने के लिए 131वां संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया। यह संशोधन विधेयक पारित होने के लिए इसके पक्ष में दो तिहाई बहुमत चाहिए था। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस व डीएमके जैसे दलों ने इस संशोधन को समर्थन नहीं दिया जिससे दो तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह 298 मतों के मुकाबले 230 मतों से गिर गया। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद विपक्षी दलों ने इसको प्रधानमंत्री की हार बताते हुए मेजें थपथपाकर जश्न मनाया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि इन सभी विधेयकों में उत्तर दक्षिण से कोई भेदभाव नहीं किया गया है तथा सरकार इसका कोई क्रेडिट भी लेना नहीं चाहती। साथ ही प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा था कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतेंगे, नंबर का खेल समय तय करेगा किंतु नारी नीयत देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में मतदान से पूर्व कई बार विरोधी दलों से बिल का समर्थन प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी सांसदों से भावुक अपील भी की थी। प्रधानमंत्री के सभी प्रयासों के बाद भी राजनैतिक स्वार्थ, अहंकार व सामंतवादी मानसिकता से त्रस्त परिवारवादी राजनैतिक दलों ने यह बिल पारित नहीं होने दिए। यदि यह विधेयक पारित हो जाते तो यह सत्र भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता। विधेयक को दो तिहाई मत मिलने पर विरोधी दल ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिरा दी हो। वो इसे मोदी की हार कह रहे हैं और यही विरोधी दलों ने एक राजनैतिक भूल है। महिला आरक्षण बिल भाजपा के लिए "चित भी मेरी - पट भी मेरी" वाला खेल बन गया है और पार्टी इस विषय को लेकर आक्रामक रूप से जनता में जा रही है। सदन में सभी विरोधी दलों ने परिसीमन और आरक्षण को लेकर भ्रम व झूठ का मायाजाल फैलाया। कुछ दलों ने जातीय जनगणना पर झूठ बोला और एससी-एसटी, ओबीसी, दलित आदिवासी व मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग कर डाली। समाजवादी पार्टी ने दो कदम आगे जाकर 33 प्रतिशत आरक्षण के अंदर ही मुस्लिम महिलाओं के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए बिल को असंवैधानिक बताकर अपने मुस्लिम तुष्टिकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया। वास्तविकता यह है कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान के विरुद्ध है जिसका असफल प्रयास कुछ दक्षिणी राज्यों में किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। वहीं यदि परिसीमन करने वाला बिल और महिला आरक्षण बिल पारित हो जाते तो जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 2029 में महिला सांसदों की संख्या 272 हो जाती और देश के राजनैतिक परिदृश्य में एक व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता। विरोधी दलों ने लोकसभा में यह विधेयक गिरा दिया है लेकिन अब यह उनके लिए, "चिड़िया चुग गई खेत" वाली कहावत सिद्ध करने जा रहा है। भाजपा ने इसे अपने पक्ष में बड़ा राजनैतिक हथियार बना लिया है। इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलकर विस्तारपवूर्वक देशवासियों के समक्ष रखा और बताया कि किस प्रकार कांग्रेस ने सभी सुधारवादी प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवारवादी पार्टियों को डर है कि अगर नारी सशक्त हो गई तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नही चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा अत्मबल अजेय है, हमारे प्रयास रुकेंगे नहीं। देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति आशीर्वाद हमारे साथ है और हम इस संकल्प को पूरा करके रहेंगे। बंगाल और तमिलनाडु जहां अभी विधानसभा का मतदान शेष है वहां प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के सभी स्टार प्रचारक अपनी रैलियों में यह मुद्दा आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी व राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री महिला आरक्षण पर प्रेस वार्ता करके राज्यों में विपक्षी व क्षेत्रीय दलों को बेनकाब कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संसद में उस दिन द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। योगी जी ने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो महिलाओं को उनका हक मिलता लेकिन इंडी गठबंधन के कारण ऐसा नहीं हो सका। यदि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाता तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय पूरे सदन व सभी राजनैतिक दलों को मिलता, विरोधी दलों ने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। इस घटनाक्रम ने राजनैतिक दृष्टि से राजग गठबंधन को स्पष्ट बढ़त दी है।

अभियान

श्रीहरि की कृपा से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन का मार्ग

सनातन परंपरा में भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का वह मधुर सेतु है, जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से उठाकर अनंत की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में संघर्षों, असफलताओं और मानसिक अशांति से घिर जाता है, तब उसे एक ऐसे सहारे की आवश्यकता होती है, जो न केवल उसे स्थिरता दे, बल्कि उसके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास भी जगाए। यही सहारा उसे भगवान की भक्ति में मिलता है, और जब बात जगत के पालनहार भगवान विष्णु की होती है, तो यह भक्ति और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है।

हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यह दिन न केवल पूजा-अर्चना के लिए शुभ होता है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का भी दिन होता है। जब भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, तो उनके जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके भीतर भी होता है, जहां शांति, संतोष और विश्वास का संचार होने लगता है।

ऐसी ही एक शक्तिशाली साधना है विष्णु चालीसा का पाठ। यह केवल चालीस चौपाइयों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य स्तुति है, जिसमें भगवान विष्णु के गुणों, उनकी महिमा और उनके करुणामय स्वरूप का वर्णन किया गया है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका पाठ करता है, तो वह धीरे-धीरे अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। उसके भीतर का भय कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है।

भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मन को स्थिर करती है। जब हम विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है। हमारे विचारों की अनावश्यक भागदौड़ रुक जाती है और हम वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। यही वह अवस्था है, जहां से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन का पालन उसी प्रकार करते हैं, जैसे एक माता अपने बच्चे का करती है। वे हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करता है, तो उसकी हर समस्या धीरे-धीरे हल होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति की वह शक्ति है, जो मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए आंतरिक शक्ति और आत्मिक संतुलन भी आवश्यक होता है। विष्णु चालीसा का नियमित पाठ इस संतुलन को स्थापित करने में सहायक होता है। यह व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ बढ़ता है। धीरे-धीरे उसके प्रयासों में स्थिरता आती है और वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने लगता है।

धन-धान्य की वृद्धि भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब भगवान की कृपा होती है, तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगती है। लेकिन इसका अर्थ केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह होती है, जिसमें मन की शांति, संतोष और खुशी भी शामिल होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को यह संपूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन संतुलित और सुखमय बनता है।

भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं। उसका व्यवहार मधुर हो जाता है और वह दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा महसूस करने लगता है। इससे उसके संबंध भी बेहतर होते हैं और जीवन में सामंजस्य बना रहता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। उसके आसपास एक सकारात्मक आभा बन जाती है, जो उसे हर प्रकार की बाधाओं से बचाती है। यह आभा उसे आत्मविश्वास देती है और उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है।

भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें निरंतरता आवश्यक है। केवल एक दिन या कुछ दिनों का पाठ करने से वह प्रभाव नहीं मिलता, जो नियमित साधना से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति रोजाना श्रद्धा और विश्वास के साथ विष्णु चालीसा का पाठ करता है, तो वह धीरे-धीरे अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन अनुभव करता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि वह अचानक नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।

जीवन की हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। भक्ति हमें उस समाधान तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। यही शक्ति हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि भक्ति कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, बल्कि यह एक जीवनशैली है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम हर परिस्थिति में संतुलित रहें, कैसे हम अपने मन को शांत रखें और कैसे हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाएं। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक ऐसा आंतरिक संतोष भी मिलता है, जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं, तो भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नियमित रूप से विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए और पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। धीरे-धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो रही है और आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। यही भक्ति की सच्ची शक्ति है, और यही वह मार्ग है, जो आपको एक सुखी, सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बिहार में नई सरकार का विश्वास मत पारित, सीएम सम्राट चौधरी बोले
'सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं, जनता ही असली मालिक'

पटना। बिहार की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब 243 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके बाद सरकार के बहुमत पर मुहर लग गई। इस तरह नए राजनीतिक समीकरणों के बीच सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में अपना औपचारिक विश्वास स्थापित कर लिया।

गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब राज्य की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ था। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। शपथ ग्रहण के बाद से ही नई सरकार के बहुमत को लेकर राजनीतिक हलचल तेज थी, जिस पर अब विधानसभा के विशेष सत्र में विराम लग गया है।

विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में जोरदार संबोधन दिया और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति, परिवार या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। यह जनता के विश्वास और समर्थन से मिलती है।" उन्होंने दावा किया कि 14 करोड़ जनता के आशीर्वाद से उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है और उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी।

इस दौरान उन्होंने विपक्ष, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान राज्य में भय, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव का माहौल रहा, जिससे जनता को नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हीं अनुभवों ने उन्हें मजबूत बनाया।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लालू यादव के शासनकाल में उनके परिवार के 22 सदस्यों को जेल भेजा गया था और बाद में सार्वजनिक रूप से गलतियों की स्वीकारोक्ति भी हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं, बल्कि विकास की राजनीति पर केंद्रित है।

सरकार की प्राथमिकताओं को बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी नीति का केंद्र "ट्रिपल सी" है—क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर पूरी सख्ती। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने विशेष रूप से सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि "जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा, उसे पुलिस पाताल से भी खोज निकालेगी।" इस बयान ने सदन में सरकार की कड़े रुख की तस्वीर पेश की।

प्रशासनिक सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर पर सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) अब सीधे इन व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा, ताकि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस पर भी जोर देते हुए कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून, भूमि पोर्टल, ई-म्यूटेशन और ई-मैपिंग जैसी सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इससे आम जनता को सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जनहित घोषणा करते हुए कहा कि अब सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतकों के परिजनों को कुल 8 लाख की सहायता दी जाएगी। इसमें 4 लाख बीमा कंपनी और 4 लाख राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विधायकों की मांग पर लिया गया है और इससे पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी।

सदन में विश्वास मत पारित होने के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वादों को जमीन पर उतारने की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सरकार सुशासन, कानून-व्यवस्था और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष इसे पूरी तरह से परखेगा।

फिलहाल, विश्वास मत के साथ ही बिहार में नई सरकार ने अपने कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति और प्रशासनिक दिशा पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

लैब टू लैंड मॉडल से यूपी में कृषि क्रांति, 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का दावा; विकास दर में ऐतिहासिक उछाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अपनाए गए "लैब टू लैंड" मॉडल और वैज्ञानिक तकनीक आधारित खेती के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन (उत्तर क्षेत्र) के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य कृषि उत्पादन, उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां कृषि विकास दर में तेज़ी से सुधार हुआ है और खेती अब परंपरागत ढांचे से निकलकर आधुनिक तकनीक आधारित प्रणाली में बदल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि विकास दर लगभग 8 प्रतिशत से बढ़कर करीब 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है।

उन्होंने विशेष रूप से "लैब टू लैंड" मॉडल की भूमिका पर जोर दिया, जिसके तहत कृषि अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक और बीज सीधे किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पहले जहां नई तकनीकों को खेतों तक पहुंचने में वर्षों लग जाते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो गई है। इसके चलते किसानों की उत्पादन क्षमता में सुधार के साथ-साथ लागत में भी कमी आई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मॉडल के सफल क्रियान्वयन में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2017 में जहां राज्य में 69 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) निष्क्रिय स्थिति में थे, वहीं अब इन्हें सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से 20 नए केवीके स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है। इन सभी केंद्रों को एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के आधार पर विकसित किया गया है, ताकि स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन मिल सके।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गेहूं उत्पादन लगभग 425 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि धान और चावल का उत्पादन लगभग 211 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया गया है। इसी तरह आलू उत्पादन लगभग 245 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन करीब 48 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। कई क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन 50–60 कुंतल से बढ़कर 100 कुंतल तक पहुंचने का भी दावा किया गया है, जो कृषि उत्पादकता में बड़ी छलांग को दर्शाता है।

इस उपलब्धि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि कृषि अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के जरिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अभी भी लगभग 20–21 प्रतिशत है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान लगभग 15–16 प्रतिशत है। ऐसे में कृषि को और अधिक मजबूत करने के लिए वैल्यू एडिशन आधारित मॉडल को अपनाना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय से ही राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

सम्मेलन में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाराणसी केंद्र का भी उल्लेख किया गया, जहां विकसित की जा रही उन्नत किस्में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही हैं। इन तकनीकों से किसानों को अधिक उत्पादन और कम जोखिम का लाभ मिल रहा है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री और विशेषज्ञ मौजूद रहे। सभी ने उत्तर प्रदेश के कृषि मॉडल की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बताया।

कुल मिलाकर, राज्य में कृषि क्षेत्र में हो रहा यह बदलाव केवल उत्पादन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक व्यापक परिवर्तन का संकेत भी दे रहा है, जिसमें तकनीक, अनुसंधान और किसान के बीच सीधा जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है।

बिहार में सड़क हादसा पीड़ितों को बड़ी राहत: अब मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 8 लाख, सरकार ने बदली सहायता नीति

पटना। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राहत राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करते हुए एक नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि अब सड़क हादसों में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को कुल 8 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले को राज्य में सड़क सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत राहत राशि को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। 4 लाख रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 4 लाख रुपये राज्य सरकार अपने संसाधनों से उपलब्ध कराएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सड़क हादसे के बाद प्रभावित परिवार को तुरंत आर्थिक सहयोग मिल सके और वे शुरुआती संकट से उबर सकें।

सरकार का कहना है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं। अक्सर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ जाता है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और दैनिक जरूरतें भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में बढ़ी हुई सहायता राशि परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल मुआवजा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सहायता राशि समय पर और बिना किसी बाधा के लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और भुगतान प्रणाली को डिजिटल व पारदर्शी रूप दिया जाएगा।

सरकार ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक तय समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, जिला स्तर पर निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा ताकि हर पात्र परिवार तक सहायता बिना किसी परेशानी के पहुंच सके।

इस निर्णय को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक स्थिरता देने में मदद करेगा और उन्हें लंबे समय तक आर्थिक संकट से बचाएगा।

राजनीतिक स्तर पर भी इस घोषणा को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुआवजा प्रणाली को मजबूत करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। सरकार का दावा है कि यह नई व्यवस्था न केवल राहत प्रदान करेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ाएगी।

इस तरह बिहार सरकार का यह निर्णय सड़क हादसा पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होने की उम्मीद है, जो न केवल आर्थिक सहायता देगा बल्कि उनके जीवन को पुनः स्थिर करने में भी मदद करेगा।

सूरत के पांडेसरा में मेन पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बहा; भीषण गर्मी में जल संकट के बीच लापरवाही पर सवाल

सूरत। भीषण गर्मी के बीच जब शहर के कई इलाकों में पहले से ही पानी की किल्लत, लो प्रेशर और अनियमित आपूर्ति की समस्या बनी हुई है, उसी दौरान पांडेसरा क्षेत्र में हुई एक बड़ी तकनीकी खराबी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सूरत के पांडेसरा स्थित गणेश नगर इलाके में मेन पेयजल पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बह गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराज़गी देखने को मिली।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अचानक तेज़ पानी का फव्वारा फूट पड़ा, जिसने कुछ ही मिनटों में सड़क को पानी से भर दिया। देखते ही देखते यह दृश्य एक अस्थायी "वाटर पार्क" जैसा लगने लगा, जहां स्थानीय बच्चे और युवा बहते पानी में खेलते और नहाते नजर आए। कुछ लोग इस पानी का उपयोग अपने वाहन धोने के लिए भी करते दिखे, जबकि बड़ी मात्रा में पीने योग्य पानी लगातार बर्बाद होता रहा।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह घटना अचानक नहीं थी, बल्कि पाइपलाइन में पहले से ही दबाव (हाई प्रेशर) की समस्या बनी हुई थी, जिसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन में रिसाव की सूचना पहले ही संबंधित विभाग को दी गई थी, लेकिन समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ।

इस घटना ने गर्मी के इस मौसम में जल संकट से जूझ रहे परिवारों की परेशानी और बढ़ा दी है। इलाके में कई घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। लोग पहले से ही सीमित पानी में गुजारा कर रहे थे, और अब पाइपलाइन फटने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है।

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में गुस्सा देखा गया। लोगों का कहना है कि एक ओर जहां पानी की एक-एक बूंद की किल्लत है, वहीं दूसरी ओर हजारों लीटर साफ पानी इस तरह सड़कों पर बहकर बर्बाद हो गया। कई निवासियों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

सूचना मिलते ही सूरत नगर निगम के हाइड्रोलिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पाइपलाइन में कनेक्शन लीकेज और अत्यधिक दबाव के कारण यह तकनीकी खराबी हुई है। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और जल्द ही जल आपूर्ति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित क्षेत्र में जल सप्लाई को जल्द बहाल किया जाएगा और पाइपलाइन की पूरी जांच कर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सिस्टम की निगरानी में कमी का परिणाम है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते पाइपलाइन की जांच और रखरखाव किया जाता तो इतनी बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी रोकी जा सकती थी।

गर्मी के इस मौसम में जब पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, इस तरह की घटनाएं प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखी जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी जल आपूर्ति प्रणाली में नियमित निगरानी और समय पर रखरखाव बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके।

इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहरी जल प्रबंधन प्रणाली बढ़ती आबादी और बढ़ती मांग के अनुरूप खुद को ढाल पा रही है या नहीं। फिलहाल, इलाके के लोग पानी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों से त्वरित और ठोस समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

हाथरस में कस्टोडियल डेथ से हड़कंप, थाने में युवक की संदिग्ध मौत के बाद थाना प्रभारी सस्पेंड; जांच एएसपी स्तर पर शुरू

हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है। यह मामला हाथरस के चंदपा थाने से जुड़ा है, जहां अपहरण के आरोप में गिरफ्तार एक युवक ने थाने के भीतर ही कथित रूप से शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस विभाग में तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर शुरू कर दी गई है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक को एक दिन पहले गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। उस पर एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का गंभीर आरोप दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद किशोरी को सुरक्षित बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया था, जबकि आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए चंदपा थाने की हवालात में रखा गया था।

घटना गुरुवार रात लगभग 9:50 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, युवक ने शौचालय जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी उसे शौचालय तक लेकर गए। लगभग 15 मिनट तक जब वह बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ। दरवाजा खोलने पर पाया गया कि युवक रोशनदान से गमछे के सहारे लटका हुआ था।

घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने उसे नीचे उतारा और आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लगभग 10 मिनट तक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया, जहां आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

इस घटना ने पुलिस हिरासत में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिरासत के दौरान हुई इस मौत को लेकर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। विभागीय स्तर पर चंदपा थाना प्रभारी श्याम सिंह और ड्यूटी आरक्षी लखन सिरोही को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी है। जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करें, जिसमें थाने के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, हिरासत में रखे गए व्यक्ति की निगरानी और ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की भूमिका शामिल है।

जांच टीम ने थाने के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसका विश्लेषण शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय क्या परिस्थितियां थीं और सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक हुई या नहीं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हिरासत में मौत होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर हिरासत में सुरक्षा मानकों, निगरानी व्यवस्था और पुलिस प्रक्रिया पर बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम निष्कर्षों पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाएंगे।

खूंटाघाट डैम से ग्रामीण इलाकों को बड़ी राहत, 107 गांवों के 211 तालाबों को भरने की तैयारी; जल संकट से निपटने की प्रशासनिक पहल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, घटते भूजल स्तर और सूखते जल स्रोतों के बीच ग्रामीण जीवन को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में अब राहत की उम्मीद जगी है क्योंकि खूंटाघाट जलाशय से 25 अप्रैल को नियंत्रित रूप से पानी छोड़े जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें डैम की बाईं और दाईं दोनों नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा जाएगा। यह पानी सीधे उन नहर प्रणालियों में प्रवाहित होगा जो 107 गांवों से होकर गुजरती हैं। इस पूरी योजना का उद्देश्य इन गांवों के कुल 211 तालाबों को पुनः भरना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। पिछले कुछ महीनों से जिले में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गर्मी की तीव्रता बढ़ने के साथ ही नदी-नाले लगभग सूख चुके हैं और अधिकांश तालाब अपने न्यूनतम जल स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण जीवन पर पड़ा है—पेयजल संकट गहराया है, मवेशियों के लिए पानी की कमी हो गई है और दैनिक निस्तारी कार्यों में भी भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

प्रशासन का मानना है कि इस जल वितरण योजना से न केवल मानव जीवन को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पशु-पक्षी पानी की तलाश में दूर-दूर तक भटक रहे थे, वहां अब तालाबों के भरने से उन्हें भी जीवनदायी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस पूरी प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित और नियंत्रित प्रणाली के तहत लागू किया जा रहा है, ताकि पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। कार्यपालन अभियंता मधु चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सभी 107 गांवों तक समान रूप से जल पहुंच सके और किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक दबाव या जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस योजना में तकनीकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका तय की गई है, जो लगातार जल प्रवाह की निगरानी करेगी। नहरों के हर हिस्से पर नियंत्रण रखा जाएगा ताकि पानी निर्धारित तालाबों तक ही पहुंचे और उसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पानी का उपयोग केवल निस्तारी और घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से इसका उपयोग कृषि सिंचाई या अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से खरीफ सीजन को देखते हुए धान की सिंचाई पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके।

इस पूरी योजना को आपातकालीन जल प्रबंधन रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लगातार घटते जल स्तर और सूखे जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम ग्रामीण जीवन को स्थिर करने के लिए उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की योजनाएं समय पर लागू की जाएं तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

खूंटाघाट जलाशय न केवल इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है, बल्कि यह आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए जीवनरेखा की तरह कार्य करता है। इसी कारण प्रशासन ने इसके जल का उपयोग सुनियोजित ढंग से करने का निर्णय लिया है, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

इस पहल का एक बड़ा सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले पानी के लिए संघर्ष की स्थिति थी, वहां अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तालाब भर जाते हैं तो न केवल पीने के पानी की समस्या कम होगी, बल्कि पशुपालन और खेती से जुड़ी कई परेशानियां भी दूर हो जाएंगी।

प्रशासन ने ग्रामीणों से विशेष अपील की है कि वे इस जल का उपयोग अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें। पानी को बचाने की आदत अपनाने और अनावश्यक उपयोग से बचने पर जोर दिया गया है, ताकि यह राहत लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं केवल तात्कालिक राहत नहीं देतीं, बल्कि दीर्घकालिक जल प्रबंधन की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करती हैं। यदि ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण की आदतें विकसित की जाएं, तो भविष्य में जल संकट की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कुल मिलाकर खूंटाघाट जलाशय से पानी छोड़ने की यह पहल सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने की एक बड़ी कोशिश है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह वास्तव में जल संकट से जूझ रहे 107 गांवों के जीवन में स्थायी राहत ला पाती है।

सूरत उद्योगों के मुद्दों पर चैंबर का मुख्यमंत्री से अहम संवाद
राहत पैकेज, गैस सप्लाई और श्रमिक संकट पर विस्तृत चर्चा

सूरत। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक केंद्र सूरत में उद्योग जगत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को एक अहम राजनीतिक और औद्योगिक संवाद देखने को मिला, जब सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल से मुलाकात कर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस बैठक में टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनका सीधा प्रभाव सूरत की औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार पर पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने किया, जबकि इस डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला और ट्रेज़रर CA मितिश मोदी शामिल थे। उद्योग जगत के इन प्रमुख प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष सूरत के औद्योगिक ढांचे को प्रभावित कर रहे विभिन्न कारकों को गंभीरता से रखा और तत्काल राहत एवं नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा राहत योजनाओं का पुनः क्रियान्वयन रहा। चैंबर ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लागू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) जैसी योजना को मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा लागू करने की मांग की। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता और निर्यात ऑर्डरों में अनिश्चितता के चलते उद्योगों को फिर से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

इसके साथ ही चैंबर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए छह महीने के मोरेटोरियम के साथ कोलैटरल-फ्री लोन की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा। प्रतिनिधियों ने बताया कि छोटे और मध्यम उद्योग (SME

सेक्टर) वर्तमान समय में सबसे अधिक दबाव में हैं, और यदि उन्हें समय पर राहत नहीं दी गई तो कई इकाइयां बंद होने की स्थिति में पहुंच सकती हैं। बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा गैस सप्लाई से जुड़ा हुआ था। मिडिल ईस्ट में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण गैस की आपूर्ति पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसका सीधा असर सूरत के टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग उद्योगों पर पड़ रहा है। चैंबर ने सरकार से आग्रह किया कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अधिक मजबूत, तेज और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के साथ सुरक्षित बनाया जाए, ताकि उद्योगों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी चिंता जताई कि गैस आपूर्ति में कमी के कारण कई कारखानों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते मजदूरों की आय पर भी असर पड़ रहा है। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं, जिससे सूरत की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक संकट उत्पन्न हो रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए चैंबर ने रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय कर अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया, ताकि लौट चुके मजदूरों को वापस सूरत लाया जा सके और उत्पादन व्यवस्था को स्थिर किया जा सके। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि श्रमिक वर्ग वापस नहीं लौटता है तो उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जिसका असर निर्यात और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बैठक में सूरत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीएम मित्र पार्क सूरत की देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। चैंबर ने राज्य सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने, जल्द से जल्द डेवलपर नियुक्त करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है और हजारों रोजगार अवसर पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने चैंबर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ इन सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और व्यावहारिक समाधान खोजे जाएंगे, ताकि उद्योगों को किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी 'वाइब्रेंट गुजरात' कार्यक्रम में अधिक से अधिक उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चैंबर से सहयोग का अनुरोध किया। इस पर चैंबर प्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर औद्योगिक विकास को गति देने की प्रतिबद्धता जताई। यह बैठक न केवल सूरत के उद्योगों की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में इन प्रस्तावों पर होने वाली कार्रवाई सूरत के औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भावनगर टर्मिनस–शहीद कप्तान तुषार महाजन एक्सप्रेस की सेवाएं पुनः बहाल

यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में निरस्त की गई ट्रेन संख्या 19107/19108 भावनगर टर्मिनस–शहीद कप्तान तुषार महाजन एक्सप्रेस की सेवाओं को पुनः बहाल (Restoration) करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ट्रेन के लिए आरक्षण (Booking) 24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से IRCTC की वेबसाइट तथा पीआरएस (PRS) काउंटरों के माध्यम से प्रारंभ किया जा चुका है। यह ट्रेन 07 जून, 2026 से आगे की यात्रा तिथियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

उल्लेखनीय है कि परिचालन कारणों से इस ट्रेन का संचालन पूर्व में निर्धारित अवधि तक स्थगित रखा गया था। अब यात्रियों की बढ़ती मांग एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इसकी सेवाओं को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागमन में बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश शर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अहमदाबाद मंडल में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का निर्माण, रेल संचालन में तकनीकी उत्कर्ष की ओर एक महत्वपूर्ण पहल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2026 तक कार्यरत हो जाएगा। लगभग 24,500 वर्ग फुट में विस्तृत यह अत्याधुनिक परिसर उत्तरी गुजरात क्षेत्र में रेल संचालन का "केंद्रीय तंत्र (Nerve Centre)" होगा। वर्ष 2003 में स्थापना के पश्चात अहमदाबाद मंडल ने तीव्र प्रगति दर्ज की है। माल लदान 9.38 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 51 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो पाँच गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इस बढ़ते परिचालन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न कार्यालयों की नियंत्रण गतिविधियों को अब एक ही छत के नीचे केंद्रीकृत किया जा रहा है।

यह अत्याधुनिक नियंत्रण परिसर विभिन्न विभागों के समन्वित, त्वरित एवं प्रभावी

संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है:

उन्नत डिजिटल निगरानी (Next-Gen Monitoring): 1,350 रूट किलोमीटर क्षेत्र की रियल-टाइम, उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉनिटरिंग हेतु विशाल वीडियो डिस्प्ले यूनिट (VDU) वॉल, जो त्वरित निर्णय-निर्धारण में सहायक होगी।

समेकित परिचालन प्रणाली (Integrated Operations System): फ्रेट एवं कोचिंग कंट्रोल, सिग्नल एवं दूरसंचार (S&T), इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन तथा क्रू प्रबंधन का एकीकृत संचालन किया जाएगा।

सुरक्षा एवं संरक्षा सुदृढ़ीकरण (Safety & Security Enhancement): रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियंत्रण कक्ष, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ एवं कैरिज एवं वैगन (C&W) गतिविधियाँ भी इस परिसर में समाहित की जाएँगी। यात्री सेवा सुदृढ़ीकरण (Passenger Service Enhancement): 'रेल मदद' (Rail Madad) शिकायत निवारण तंत्र एवं NTES (National Train Enquiry System) के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण, जिससे यात्रियों को सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

इस एकीकृत नियंत्रण परिसर के क्रियान्वयन से निम्नलिखित बहुआयामी लाभ प्राप्त होंगे:

समयपालन में उच्च स्तर की सटीकता (High Precision in Punctuality): प्रतिदिन संचालित 130+ कोचिंग ट्रेनों एवं 160+ मालगाड़ियों के संचालन में सटीक योजना एवं समयपालन सुनिश्चित होगा।

संचालन प्रक्रियाओं का अनुकूलन (Operational Process Optimization): लोको परिवर्तन, जल आपूर्ति, पार्सल प्रबंधन एवं क्रू तैनाती में समयबद्धता एवं दक्षता में वृद्धि आएगी।

रियल-टाइम डेटा आधारित सेवाएँ Real-Time Data Driven Services): रियल-टाइम डेटा प्रवाह के माध्यम से यात्रियों को पारदर्शी एवं विश्वसनीय सेवाएँ प्राप्त होंगी।

यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर केवल एक भवन नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक एवं समेकित कार्यप्रणाली का प्रतीक है। यह केंद्र 24×7 संचालित रहेगा। कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आधुनिक एवं कार्यक्षम कार्यस्थल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही, कर्मचारियों के लिए कैंटीन, विश्राम कक्ष, मिनी बोर्ड रूम एवं समर्पित पार्किंग जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, ताकि कार्य निष्पादन अधिक सुगम, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी हो सके।

यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में अस्थायी अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग एवं अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दो जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 20486/20485 साबरमती–जोधपुर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20486 (साबरमती–जोधपुर) में दिनांक 03 मई से 02 जून 2026 तक तथा

ट्रेन संख्या 20485 (जोधपुर–साबरमती) में दिनांक 01 मई से 31 मई 2026 तक

एक अतिरिक्त 3-टियर एसी तथा दो स्लीपर श्रेणी के कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

2. ट्रेन संख्या 20492/20491 साबरमती–जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20492 (साबरमती–जैसलमेर) में दिनांक 01 मई से 31 मई 2026 तक तथा

ट्रेन संख्या 20491 (जैसलमेर–साबरमती) में दिनांक 02 मई से 01 जून 2026 तक

एक अतिरिक्त 3-टियर एसी तथा दो स्लीपर श्रेणी के कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त दोनों जोड़ी ट्रेनें संशोधित व्यवस्था के अनुसार कुल 22 कोचों के साथ संचालित की जाएंगी।

नोटबंदी मामले में उच्च न्यायालय का आदेश: आरबीआई को जब्त किए गए पुराने नोटों को बदलने का निर्देश

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। अचानक हुई नोटबंदी के कारण कई लोग समय सीमा के भीतर पुराने 500 रुपये के नोट भी नहीं बदलवा पाए। इसी समय सीमा के तहत, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आदेश दिया कि नोटबंदी की घोषणा के बाद पुलिस द्वारा जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने 500 रुपये के नोट बदले जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदक को उस गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उसकी नहीं है। 8 नवंबर 2016 को अचानक हुई नोटबंदी के समय, आवेदक गिरीश मलानी 1 दिसंबर 2016 को 2 लाख रुपये नकद लेकर यात्रा कर रहे थे। तब नगर निगम चुनावों के संबंध में

एहतियात के तौर पर पुलिस गश्ती दल ने यह पैसा जब्त कर लिया था। इसके बाद, आयकर विभाग ने जांच के दौरान स्वीकार किया कि यह पैसा वैध था।

हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के चलते 31 दिसंबर 2016 को आवेदक को राशि वापस कर दी गई। इस दौरान पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी, इसलिए आरबीआई ने नोट बदलने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने कहा कि चूंकि करेंसी नोट पुलिस हिरासत में थे, इसलिए आवेदक के पास उन्हें जमा करने का कोई विकल्प नहीं था। अदालत ने आरबीआई के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नोटों के सीरियल नंबर दर्ज नहीं किए गए थे। अदालत ने कहा कि कानूनी देरी के कारण आवेदक को नुकसान उठाना उचित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने गिरीश मलानी को एक सप्ताह के भीतर पुराने नोट आरबीआई के पास जमा करने को कहा है और रिजर्व बैंक को 7 सप्ताह के भीतर उनका सत्यापन करने और उसी राशि के वैध नोट जारी करने का आदेश दिया है।

डभोई–छोटा उदेपुर सेक्शन पर स्थित ब्रिज का सुदृढ़ीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण

पश्चिम रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डभोई–छोटा उदेपुर सेक्शन पर स्थित ब्रिज संख्या 130 के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य से पुल की संरचनात्मक मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह पुल नदी तल में गंभीर कटाव (scouring) के कारण प्रभावित हुआ था, जिससे पाइल कैप के नीचे पाइल्स उजागर हो गए थे, जो संरचनात्मक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी ।

प्रमुख सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत उजागर पाइल्स की सफाई व ग्राउटिंग की गई तथा 1.4 मीटर लाइनर्स की स्थापना गई। प्रत्येक पियर पर 8 (कुल 80) अतिरिक्त पाइल्स का निर्माण किया गया। पियर जैकेटिंग तथा नई पाइल्स का मौजूदा नींव से एकीकरण किया गया।

इस कार्य को अत्यंत सावधानी, उच्च गुणवत्ता मानकों एवं सुरक्षा उपायों के साथ संपन्न किया गया। पाइल्स की सफाई, निरीक्षण, ग्राउटिंग तथा इंटीग्रिटी परीक्षण जैसी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर संरचना की मजबूती को प्रमाणित किया गया।

इस सुदृढ़ीकरण कार्य से पुल की भार वहन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा इस सेक्शन में ट्रेन संचालन और अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध हो सकेगा। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की सुरक्षा, आधुनिकीकरण और यात्री सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे द्वारा 25/26 अप्रैल, 2026 के दौरान उपनगरीय खंड पर दो मेजर ब्लॉक लिये जाएंगे

गर्डर लॉन्चिंग कार्य के लिए जोगेश्वरी–राम मंदिर के बीच छठी लाइन पर तथा दहिसर में ब्लॉक लिये जाएंगे

पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि अर्थात 25/26 अप्रैल, 2026 के दौरान उपनगरीय खंड पर दो प्रमुख ब्लॉक लिये जाएंगे। ये ब्लॉक राम मंदिर और जोगेश्वरी के बीच मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों की लॉन्चिंग तथा दहिसर में दो फुट ओवर ब्रिजों के गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए लिये जाएंगे।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मेट्रो लाइन-6 के स्टील गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए राम मंदिर और जोगेश्वरी के बीच एक प्रमुख ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के अंतर्गत छठी लाइन पर 25 अप्रैल, 2026 को 22:15 बजे से 26 अप्रैल, 2026 को 08:15 बजे तक 10 घंटे कार्य किया जाएगा, जबकि सभी लाइनों पर यह ब्लॉक 26 अप्रैल, 2026 को 01:45 बजे से 04:45 बजे तक लिया जाएगा। ब्लॉक के दौरान छठी लाइन की सभी ट्रेनों को बोरीवली से अंधेरी तक अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा।

उपरोक्त ब्लॉक के दौरान ही दहिसर में दो फुट ओवर ब्रिजों के गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए एक अन्य मेजर ब्लॉक भी लिया जाएगा। दहिसर में यह ब्लॉक डाउन स्लो, अप स्लो और डाउन फास्ट लाइनों पर 26 अप्रैल, 2026 को 02:05 बजे से 04:05 बजे तक तथा अप फास्ट लाइन पर 26 अप्रैल, 2026 को 02:05 बजे से 03:05 बजे तक लिया जाएगा।

ब्लॉकों के कारण प्रभाव उपनगरीय ट्रेन सेवाएं

25 अप्रैल, 2026 को चर्चगेट से 01:00 बजे प्रस्थान करने वाली अंतिम ट्रेन अर्थात BO91055 निरस्त रहेगी। अतः चर्चगेट से विरार के लिए अंतिम ट्रेन VR91053 होगी, जो चर्चगेट से 00:50 बजे प्रस्थान करेगी। 26 अप्रैल, 2026 को विरार से पहली ट्रेन VR90018 होगी, जो 03:40 बजे प्रस्थान करेगी और गोरेगांव तक चलेगी। यह ट्रेन स्लो मोड में चलेगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। निरस्त की गई उपनगरीय सेवाओं की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें

ब्लॉकों के कारण निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट/रीशेड्यूल किया जाएगाः

रेगुलेट की जाने वाली ट्रेनें

24 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल–दादर स्पेशल को नंदुरबार और विरार के बीच 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22928 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस लोकशक्ति एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर–दादर एक्सप्रेस को सूरत और विरार के बीच 20 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

रीशेड्यूल की जाने वाली ट्रेनें

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को ओखा से 1 घंटा 15 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

25 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22904 भुज–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस को भुज से 45 मिनट रीशेड्यूल किया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

मेहुल टेलिकॉम की मजबूत लिस्टिंग: IPO निवेशकों को पहले ही दिन मिला करीब 10% का फायदा, बाजार में उत्साह का माहौल

नई दिल्ली। टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड ने शेयर बाजार में अपने पहले ही कदम में निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी के आईपीओ की मजबूत मांग और सफल लिस्टिंग ने यह संकेत दिया है कि SME सेगमेंट में भी निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। 98 के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर बीएसई के SME प्लेटफॉर्म पर 108 पर सूचीबद्ध हुए, जिससे निवेशकों को लगभग 10% का शुरुआती लाभ मिला। लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर में हल्का उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में शेयर 109.90 तक पहुंच गया, लेकिन मुनाफावसूली के चलते यह थोड़ा फिसलकर 104 के स्तर पर भी आया। हालांकि, सुबह 10:45 बजे तक यह फिर से संभलते हुए 107.75 के आसपास कारोबार करता दिखा, जो अभी भी इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 9.95% की बढ़त को दर्शाता है।

मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड का 88.02 करोड़ का आईपीओ 17 से 21 अप्रैल के बीच खुला था और इसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कुल मिलाकर यह इश्यू 44.91 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार में कंपनी के प्रति मजबूत भरोसे को दर्शाता है। इसमें संस्थागत निवेशकों (QIB) का सब्सक्रिप्शन 32.5 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का 79.38 गुना और खुदरा निवेशकों का 37.41 गुना रहा, जो बेहद मजबूत मांग को दर्शाता है। इस आईपीओ के तहत 10 फेस वैल्यू वाले 28,29,600 नए शेयर जारी किए गए थे। कंपनी ने इस इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के संचालन और विस्तार योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर भी मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में जहां कंपनी मामूली घाटे में थी, वहीं 2024-25 में यह 5.74 करोड़ के शुद्ध लाभ में बदल गई। चालू वित्त वर्ष में कंपनी का लाभ बढ़कर 7.07 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इसके बेहतर संचालन और बढ़ती मांग का संकेत है। हालांकि इसी दौरान कंपनी के कर्ज में भी हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। 2023-24 में लगभग कर्जमुक्त स्थिति से आगे बढ़ते हुए 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में कंपनी पर 3.72 करोड़ का कर्ज दर्ज हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी कंपनी के विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के कारण हो सकती है।

दूसरी ओर, कंपनी की नेटवर्थ में मजबूत उछाल देखने को मिला है। 2023-24 में यह केवल 9 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 17.10 करोड़ हो गई और वर्तमान वित्त वर्ष में यह 24.18 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी तरह EBITDA में भी तेज वृद्धि हुई है, जो 3.04 करोड़ से बढ़कर 9.71 करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़े कंपनी की ऑपरेशनल दक्षता और बिजनेस ग्रोथ की मजबूत तस्वीर पेश करते हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि SME सेगमेंट में मेहुल टेलिकॉम लिमिटेड जैसी कंपनियों की सफल लिस्टिंग यह संकेत देती है कि छोटे और मझोले स्तर की कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि, वे यह भी सलाह देते हैं कि इस तरह के स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव अधिक होता है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर निर्णय लेना चाहिए।

फिलहाल, आईपीओ निवेशकों के लिए यह लिस्टिंग एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है, जहां उन्हें पहले ही दिन लगभग 10% का लाभ मिला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाजार में कंपनी अपनी यह गति कितनी देर तक बनाए रख पाती है।